मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 10, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 127 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 119 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पदों की भर्ती में महिलाओं के आरक्षण में अनियमितता होने,
(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की मकरोनिया चौराहे से बहेरिया चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,
(3) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, सदस्य की मंदसौर जिले के भानपुरा में मूर्तियों की चोरी होने,
(4) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले के जरमोहरा बांध में नहरों की मरम्मत न किये जाने,
(5) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की जबलपुर जिले में कृषकों की भूमि का मुआवजा न दिये जाने,
(6) श्री मनीराम धाकड़, सदस्य की मुरैना जिले में बेरोजगार युवकों को सेना में भर्ती न किये जाने,
(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की उज्जैन नगर में कुन्जिका कन्सट्रक्शन द्वारा निर्मित काम्पलेक्स सुविधा-विहीन होने,
(8) श्री संतोष जोशी, सदस्य की शाजापुर जिले में कृषकों पर चार गुना उपकर लगाये जाने,
(9) श्री शिवमंगल सिंह तोमर, सदस्य की मुरैना नगर पालिका में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने तथा
(10) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की आंगनवाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध न कराये जाने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने - (क) वित्तीय वर्ष 2010-11 की द्वितीय छःमाही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छःमाही समीक्षा विवरण तथा (ख) (i) वित्त लेखे खण्ड-१ एवं खण्ड-२, वर्ष २०१०-२०११ तथा (ii) विनियोग लेखे वर्ष, २०१०-११ पटल पर रखे।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने श्योपुर जिले के ग्राम मोरावन में डकैतों का आतंक होने की ओर संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य ने रायसेन-सागर मार्ग पर बिना परमिट के भारी वजन का ट्रॉला पुल से गुजरने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्रीमती ललिता यादव, सभापति ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति ने दिनांक 2 दिसम्बर, 2011 को चर्चा के लिये आने वाले अशासकीय संकल्पों पर विचार कर, निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-13)	श्री विश्वास सारंग	30 मिनट
2.	(क्रमांक-14)	श्री मोतीलाल तिवारी	15 मिनट
3.	(क्रमांक-24)	श्री पारस सकलेचा	45 मिनट
4.	(क्रमांक-31)	श्री पांचीलाल मेड़ा	30 मिनट
5.	(क्रमांक-34)	श्री गिरिजा शंकर शर्मा	30 मिनट

श्रीमती ललिता यादव, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) याचिका समिति के प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री मोती कश्यप, सभापति ने याचिका समिति का पन्द्रहवां एवं सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(3) नियम समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विश्वामित्र पाठक, सदस्य ने नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की विकास कार्यों संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(2) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
(3) श्री विश्वास सारंग (जिला-भोपाल)
(4) श्री पारस सकलेचा (जिला-रतलाम)
(5) श्री गौतम टेटवाल (जिला-राजगढ़)
(6) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी (जिला-सागर)

7. मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव ...(क्रमशः)

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत, मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर दिनांक 28, 29 एवं 30 नवम्बर, 2011 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों / मंत्रियों ने भी भाग लिया :-

(39) श्री प्रताप ग्रेवाल
(40) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(41) श्री राघवजी, वित्त मंत्री
(42) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(43) श्री रामगरीब कोल
(44) श्री कमल पटेल
(45) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

(अपराह्न 2.42 से 3.31 बजे तक अन्तराल)

8. स्वागत-उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कैलाश जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा सदस्य का अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर, सदन की ओर से स्वागत किया गया।

9. मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव ...(क्रमशः)

(46) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।
(47) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने प्रत्युत्तर दिया।

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में मत विभाजन की मांग की गई। मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया सम्पन्न होने के पश्चात्, प्रस्ताव के पक्ष में 63 मत तथा विपक्ष में 149 मत प्राप्त हुए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

10. श्री राघवजी, वित्त मंत्री द्वारा खुदरा बाजार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विरोध सम्बन्धी सूचना

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति देने के विरोध में, प्रदेश के व्यापारियों द्वारा की गई हड़ताल का शासन द्वारा समर्थन करने के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित किया गया।

अपराह्न 7.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 11, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 1 दिसम्बर, 2011